



जो खुद सोचना जानते हैं, उन्हें किसी शिक्षक की ज़रूरत नहीं

अदालत में अनुच्छेद 370

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले के खिलाफ दावर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश देकर गांधी संकेत दिया कि गांधीय महत्व के इस मामले में वह तुरु-तुरु कोई फैसला करने नहीं जा सकता है। हालांकि याचिका दावर करने वालों ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिए जाने का विरोध किया, लेकिन वे इसके अनुदेश्य कर गए कि अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ करेंगे एक दर्जन याचिकाएं दावर की गई हैं और उनके जवाब तैयार करना आसान काम नहीं। इनमें कुछ याचिकाएँ ऐसे लोगों की ओर से भी दावर की गई हैं जिनका काम ही है किसी न मिसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खत्थटाना। सुप्रीम कोर्ट को इस याचिकाजाजी के खिलाफ कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है। पता नहीं ऐसा कब होगा, लेकिन अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दावर याचिकाओं पर 14 नवंबर से सुनवाई शुरू होने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे आपत्ति पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा कि तब तक तो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आ जाएंगे। जान हो कि केंद्र सरकार ने इसके लिए 31 अक्टूबर की अवश्यक नई समझ रखा है।

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी भी उल्लेखनीय है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और देश की सुरक्षा में संतुलन ज़रूरी है। इसमें संदेश नहीं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन इस हड्डे नहीं कि देश की सुरक्षा की अनुदेश्य कर दी जाए। इससे इन्कार नहीं कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद घाटी में कुछ प्रतीक्षित लगाए गए हैं, लेकिन इसका मकसद लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करना नहीं, बल्कि शांति एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने में इसीलए बाधाएँ आ रही हैं, क्योंकि कुछ लोग अग्रजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तर्कों पर लागम लगाने शासन का दायित्व है। इसी तरह उन तर्कों पर भी लागम लगाना आवश्यक है जो न केवल अलगाववादियों और आकंक्षादारियों की भाषा बोलने में लगे हुए हैं, बल्कि उनके हितैशी भी बने हुए हैं। यह बिंदुबाना ही है कि यह लोग संविधान और मानवाधिकारों की दुलारे देने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को बोलना करने और एक पर अंक लगाने के ठोकर जाना चाहिए कि कशीरी के उनके जरूर तथा। निःयंदेह ऐसा करते हुए यह भी देखा जाना चाहिए कि कशीरी के उनके जरूर तथा। इसके बाद लोगों के उनके जरूर तथा।